

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. **B/1776**
III-10-40/78 -VIII

Jabalpur, dated 19.05.2020

The copy of Rajpatra dated 20.03.2020 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information,
2. The District and Sessions Judge **Sagar**,
3. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
4. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
5. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
6. P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
7. P.S. to Hon'ble Shri Justice
8. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
9. P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
10. The Joint Registrar (Confidential) and Administrative Officer (Checker)/ Criminal Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of M.P., Jabalpur for information,
11. Computer Operator, Confidential Section High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
12. Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.


(B.P. SHARMA)
REGISTRAR (D.E.)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2020

क्र. एफ 1 (ए) 24-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री गुरुकरण सिंह, भापुसे, (2014) पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर को दिनांक 24 फरवरी से 8 मार्च 2020 तक, चौदह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गुरुकरण सिंह, भापुसे, (2014) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्री गुरुकरण सिंह, भापुसे, (2014) को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुरुकरण सिंह, भापुसे, (2014) उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2020

क्र. एफ-1(ए) 101-2008-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, इन्दौर को दिनांक 24 फरवरी से 4 मार्च 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 23 फरवरी 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्यांतर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 18 फरवरी 2020

क्र. ए-407-तीन-10-40-78(भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक सी-4666-तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवंबर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसंबर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 36 सिविल जिला सागर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	सागर	सागर	9*	सागर	7	सागर	11
		देवरी	2	देवरी	1	देवरी	1

No. A-407-III-10-40-78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh No. C-4666-III-10-40/78-VII, dated 18 November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16 December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 36 Civil District Sagar the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Sagar	Sagar	9*	Sagar	7	Sagar	11
		Deori	2	Deori	1	Deori	1

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.).